आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
27/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **राजस्व पुनरीक्षण 172 / 1997** **धुर्वा उरांव बनाम् शम्भु ओझा एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–108-R15/1991-92 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–184 / 88–89 में खाता संख्या–08, प्लॉट नम्बर–28, 168, 297, 363, 369 एवं 368, कुल रकबा–5.32 एकड़ भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् भूमि वापसी के दावे को कालबाधित घोषित करते हुये रद्द कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर कर दिया गया था। इस वाद में आवेदक वाद दायर करने के बाद से ही अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक–10.04.2000 को आवेदक को सुनते हुये वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। इसके पश्चात् निम्न न्यायालय के अभिलेख प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगा, किन्तु उक्त अवधि में आवेदक न्यायालय से अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा यदा–कदा हाजिरी दर्ज की गयी है। आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–24.03.2022, 31.03.2022, 09.06.2022 एवं 20.06.2022 को लगातार मौका दिया गया, किन्तु वे अनुपस्थित रहे। इस प्रकार यह वाद आवेदक के अनुपस्थिति के कारण आज तक लम्बित है। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि गझिया उरांव एवं चरवां उरांव के नाम रैयती दर्ज है, जिसे धोखा–धड़ी एवं छल–कपट करते हुये विपक्षी के द्वारा दखल कर लिया गया। विपक्षियों के द्वारा वर्ष–1942 में उक्त भूमि के इस्तीफा किये जाने का दावा किया गया है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया, जिसके कारण आवेदकों को दखल–दिहानी भी करायी गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा तथ्यों की उचित समीक्षा किये बगैर केवल कालबाधित होने के आधार पर भू–वापसी के दावे को खारिज कर दिया गया। कथित इस्तीफा नामा में यह उल्लेख है कि लगान का भुगतान नहीं होने के कारण इस्तीफा किया गया, जबकि प्रश्नगत् भूमि की जमीन्दार फरवरी–1942 में मणीराम ओझा बने थे। अतः कृषि वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही लगान भुगतान का प्रश्न नहीं था। स्पष्टतः यह इस्तीफा एक फर्जी कागज है। जमीन्दार द्वारा दिये गये रिटर्न में	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

प्रश्नगत् भूमि पर कोई उल्लेख नहीं है। उपायुक्त द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने का भी उल्लेख किया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उपायुक्त न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि वर्ष के गणना के आधार पर इस्तीफानामा को अवैध घोषित किये जाने के बिन्दु पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों को तथा प्रश्नगत् वाद में भूमि वापसी का दावा कालबाधित होने के आधार पर उपायुक्त द्वारा अपील आवेदन को मान्य किया गया था। उक्त आलोक में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्लॉट नम्बर–28, 168, 297, 362 एवं 363 में अवस्थित भूमि के संबंध में भूमि वापसी के दावे को खारिज किया गया है। विशेष विनियमन पदाधिकारी के द्वारा प्रश्नगत् इस्तीफा को ही संयुक्त खाते की भूमि होने के कारण एवं कृषि वर्ष किये जाने के कारण अवैध माना गया था। यह भी निष्कर्ष निकाला गया था कि इस प्राप्त भूमि पर विपक्षियों का दखल है। आवेदक इस न्यायालय में लगातार अनुपस्थित है, जिस कारण इस वाद में आदेश पारित करना संभव नहीं है। आवेदक के जीवित होने के संबधं में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। विपक्षी भी न्यायालय से लगातार अनुपस्थित है। वर्णित परिस्थिति में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

प्रमण्डलीय आयुक्त

प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.05 13:58:32 +05:30
Location: 192.168.1.40